सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in - Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्राक–C–377/स0क0/छात्र0/समय–सारणी/2022–23 दिनॉक–31 08 2022 के क्रम मे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदो के समस्त राजकीय, अनुदानित एव स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त सलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः–जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर का पत्र।

भवदीय

02/09/22

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्राक 1157 /सूचना/2022 दिनांक– 02 /08 /2022

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेवसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5. गार्ड फाइल मे सरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी

सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

1. कुल सचिव,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक
   सिद्धार्थनगर।

पत्रांक C-377/स0क0/छात्र0/समय-सारणी/2022-23 दिनांक 31 अगस्त, 2022

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक-सत्र 2022-23 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा-11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओ सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमो का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक किये जाने संशोधित समय सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्वन्ध में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-98/2022/1970/26-3- 2022-4(358)/07 टी.सी.।।। दिनांक 29 अगस्त, 2022 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा-11- एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओ सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमो का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सीटो की संख्या, सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क का सत्यापन, लॉक करने हेतु नवीन संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई है। तदक्रम मे वित्तीय वर्ष 2022-23 मे निर्गत समय-सारणी का संस्थाओ के मास्टर डाटा लॉक करने हेतु प्रथम चरण दिनांक 05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक एवं द्वितीय चरण में समय सारणी में मास्टर डाटाबेस को लॉक करने हेतु तिथि दिनांक 11 जुलाई, 2022 से 22 अगस्त, 2022 तक निर्धारित किया गया था, **जिसको शासन द्वारा बढा कर 13 सितम्बर 2022 तक** कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओ को सूचित करने हुये जारी समय-सारणी के अनुसार 13 सितम्बर **2022 तक** संस्थाओ को मास्टर डाटाबेस को लॉक कराने हेतु अपने स्तर से वांछित कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-संशोधित समय सारणी

भवदीय,

डा0(राहुल गुप्ता)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक समाज कल्याण बस्ती मण्डल, बस्ती
5. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. **प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक**, समस्त शिक्षण संस्थाये जनपद सिद्धार्थनगर विना अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये मास्टर डाटवसे को समयान्तर्गत लॉक करने का कष्ट करे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

सिद्धार्थनगर।

संख्या–98 / 2022 / 1970 / 26–3–2022 -4(358) / 07 टी.सी. III

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त 2022

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु प्रस्तावित संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–2194 / स0क0 / शिक्षा–अ / 7 / 76 / 2022–23, दिनांक–23.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु प्रस्तावित संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या–47 / 2022 / 902 / 26–3–2022–4 (358) / 07टी0सी0–III दिनांक 02–05–2022 द्वारा निर्गत समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रथम चरण हेतु समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)	द्वितीय चरण हेतु समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	2	3	4	5
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाये)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक।	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।	13 सितम्बर 2022 तक।

	भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।			
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड कल्याण भवन, लखनऊ-226001, से	05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।	13 सितम्बर 2022 तक।
1 बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	*05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। (नोटः-राज्य से वाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*	*11 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 तक। (नोटः-राज्य से वाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*	*16 सितम्बर 2022 तक। (नोटः-राज्य से वाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*

2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली मे उल्लिखित सस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की सख्या एव फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	07 जून 2022 से 30 जून 2022 तक।	23 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।	14 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी, बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानो हेतु) द्वारा सभी सस्थानो के प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	07 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक।	26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।	17 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।	18 अक्टूबर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की सख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एव फीस का विवरण (विश्वविद्यालय /	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।	[illegible] सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।	18 अक्टूबर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक।

अ... एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाए। ऑनलाईन लॉक किया जाना।

नोटः–

छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु शासनादेश संख्या–... 2022 / 902 / 26–3–2022–4(358) / 07 टी0सी0।।। दिनांक 02 मई, 2022 को जारी समय–सारिणी में दी गयी समयावधि एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by रजनीश चन्द

Date: 29-08-2022 16.33:14

Reason: Approved

पृ0सं0– 98 / 2022 / 1970 (1) / 26–3–2022 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2– प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द)

विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–सी–2276 / स0क0 / शिक्षा–3 / 7 / 76 / 2022–23

लखनऊ, दिनांकः 29 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण / समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

... 389

4– निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–सारिणी के शासनादेश संख्या–98/2022/1970/26–3–2022–4(358)/07 III टी0सी दिनांक 29.08.2022 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ करने के साथ–साथ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

8– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।

9– रजिस्ट्रार, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी, योगा सिद्ध वार्ड, उ0प्र0।

10– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

11– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

12– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

29/8/2022

(राकेश कुमार)
निदेशक